संलग्नक-2

संख्या– 1609 ई–2/तेरह–2011–10/2011

प्रेषक,

यादअली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2

लखनऊ::दिनांक:: 29 जुलाई, 2011

विषय:– वर्ष 2011–12 एवं 12–13 की घोषित आबकारी नीति में कतिपय परिवर्तन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–77/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2011–12, दिनांक 17 जुलाई,2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें देशी शराब की 42.8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की श्रेणी को बहाल करने तथा इस श्रेणी की 180 एम0एल0 धारिता को पुनः प्रचलित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त राजस्वहित में देशी शराब की 42.8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता (तीव्र मसाला) की श्रेणी को पुनः बहाल किये जाने तथा देशी शराब की वर्ष 2011–12 व 12–13 हेतु 5 धारिताओं (750, 375, 200, 180 व 100 एम0एल0) को संलग्न सूची के अनुसार अधिकतम थोक व अधिकतम् फुटकर विक्रय मूल्य पर प्रचलित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

कृपया तद्नुरूप नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(याद अली)
उप सचिव।

सलग्नक-3

संख्या-2595 ई-2/तेरह-2011-10/2011

प्रेषक,

याद अली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक 16 नवम्बर, 2011

विषय:- वर्ष 2012-13 की आबकारी नीति के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-जी-166/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2012-13, दिनांक 08 नवम्बर,2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें देशी शराब व विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2012-13 के लिये प्रोसेसिंग फीस निर्धारित किये जाने एवं एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस निर्धारित किये जाने तथा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस जमा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त संदर्भित पत्र में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2012-13 के लिये आबकारी नीति के कियान्वयन के सम्बन्ध में राजस्वहित एवं जनहित में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) देशी शराब व विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2012-13 के लिये प्रोसेसिंग फीस रू0 6,000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की जाय।

(2) चूँकि वर्ष 2012-13 हेतु एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन माह दिसम्बर, 2011 में किया जाना है। व्यवस्थापन के समय तक माह नवम्बर, 2011 तक का ही विदेशी मदिरा का उपभोग प्राप्त हो पायेगा जिसके आधार पर वर्ष 2011-12 के अनुमानित वार्षिक उपभोग का आगणन करने पर हो सकता है कि अनुमानित वार्षिक उपभोग और वास्तविक वार्षिक उपभोग में बहुत अधिक अन्तर (कमी) हो जिसके कारण एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2012-13 की लाइसेंस फीस का आगणन कम हो सकता है। अतः व्यापक राजस्व हित में- एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2012-13 के लिये लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाय:-

"जनपद के अन्तिम व्ययगत माह तक के विदेशी मदिरा के वास्तविक उपभोग के आधार पर उक्त जनपद के विदेशी मदिरा के अनुमानित वार्षिक उपभोग का आगणन करके तदनुसार एफ0एल0-2 की जनपदवार लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी जनपद के लिए निर्धारित एफ0एल0-2 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस गतवर्ष की लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। माह मार्च में माह फरवरी तक के उपभोग के आधार पर अनुमानित वार्षिक उपभोग की पुनः गणना की

जायेगी जिसके आधार पर लाइसेंस फीस का पुनः आगणन करके अन्तर की धनराशि अनुज्ञापी से 15 मार्च तक जमा करायी जायेगी।"

(3) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप हेतु वर्ष 2012–13 के लिये लाइसेंस फीस की गणना निम्नवत् की जाय:–

"अंतिम व्ययगत माह तक के विदेशी मदिरा व बीयर के उपभोग के आधार पर विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान के अनुमानित वार्षिक उपभोग की गणना की जायेगी और उक्त अनुमानित वार्षिक उपभोग के आधार पर वार्षिक लाइसेंस फीस की गणना की जायेगी। प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी दुकान के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस गतवर्ष की लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। माह मार्च में माह फरवरी तक के उपभोग के आधार पर उक्त दुकान के अनुमानित वार्षिक उपभोग का आगणन करके दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस की पुनः गणना की जायेगी। इस प्रकार लाइसेंस फीस के अन्तर की धनराशि द्वितीय किस्त के साथ 15 मार्च तक जमा करायी जायेगी। विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान की लाइसेंस फीस में इस अन्तर के कारण उस निकाय की माडल शाप की लाइसेंस फीस में यदि कोई वृद्धि होती है तो लाइसेंस फीस की उक्त वृद्धि की धनराशि भी माडल शाप के अनुज्ञापी से द्वितीय किस्त के साथ 15 मार्च तक जमा करायी जायेगी।"

तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(याद अली)

उप सचिव।